अनवान इकबालसिंह व अन्य बनाम मोठासिंह व अन्य
वाद पत्र संख्या 17/2018

23.10.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – प्रार्थी इकबालसिंह के नाम से सिंचाई विभाग की रसीद सं0 23 व रसीद संख्या 4 व पानी की पर्ची माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी है। यद्यपि उक्त दस्तावेज सम्भालकर रखे हुये थे, जो पूर्व में नहीं मिले लेकिन अब घर में सफाई करने पर उक्त दस्तावेज प्राप्त हुये। अब उक्त दस्तावेजों को बिना देरी के श्रीमान् न्यायालय में पेश किये गये। उक्त दस्तावेज सरकारी दस्तावेज है जिसके फर्जी होने का कोई सन्देह नहीं है। इसलिये उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया जावे ताकि साक्ष्य में प्रदर्शित किया जा सके। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिये गलत तथ्य पेश किये है। सिंचाई विभाग की रसीद संख्या 03 व 04 व पानी की पर्चीया प्रार्थी को कब व कहां से तथा कौनसी तारीख को मिली, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में यह बात कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी को सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्च खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार की पुस्तक संख्या 229, रसीद संख्या 23 दिनांक 15.06.2010, पुस्तक संख्या 1729, रसीद संख्या 04 एवं पानी की पर्ची चक 11 एचएच सन् 2014 चूंकि पत्रावली वास्ते जिरह सक्ष्यवादी हेतु नियत थी एवं वादी द्वारा दिनांक 26.09.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। अतः न्यायहित में उक्त दस्तावेज साक्ष्य हेतु रिकॉर्ड पर लिया जाना सुसंगत प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाते है। पत्रावली वास्ते जिरह साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 20.11.24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:09 IST
Reason: SelfAttested